



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में एक अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 19.09.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने वाले एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 04.09.2015 को अभियुक्त प्रवीन पुत्र सतपाल निवासी मौहल्ला सुभाषनगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा वादी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 406/2015 धारा 307, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.10.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19.09.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय हापुड़ द्वारा 05 वर्ष का साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री योगेन्द्र मलिक एवं पैरोकार म0का0 कुसुम व कोर्ट मोहर्नर म0का0 पुष्पा का विशेष योगदान रहा।

